



अनुबंध II

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा में शामिल लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले निर्दिष्ट दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा वचन पत्र अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है,

मैं, _____, एक उम्मीदवार हूँ जिसकी _____
(दिव्यांगता/स्थिति की प्रकृति) है और मैं _____
(परीक्षा का नाम) में रोल नंबर _____ के साथ _____ (केंद्र का नाम) जिले _____, _____ (राज्य का नाम) में उपस्थित हो रहा हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता _____ है।

2. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि _____ (स्क्राइब का नाम) उपर्युक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद्वारा वचन देता हूँ कि उनकी योग्यता _____ है। यदि बाद में, यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं उस पद / पदस्थान / शैक्षणिक सीट पर अपना अधिकार खो दूंगा जिसके लिए मैं प्रतिस्पर्धा कर रहा हूँ और उससे संबंधित दावे कर रहा हूँ।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिग है)

स्थान:

तारीख:

नोट: निर्धारित प्रोफार्मा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर संशोधन के अधीन होगा।